राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 210 /2020

1. प्रेम लाल कुम्हार पुत्र बाल चन्द कुम्हार जाति कुम्हार निवासी टीबा की ढाणी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
2. राजेश कुमार पुत्र बालु राम जाति कुम्हार निवासी टीबा की ढाणी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 17–09–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 222 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रेम चन्द पुत्र बाल चन्द के स्थान पर प्रेम लाल कुम्हार पुत्र बालचन्द तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजू पुत्र बाल चन्द के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र बालू राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रेम चन्द के स्थान पर प्रेम लाल कुम्हार तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजू के स्थान पर राजेश कुमार दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 222 ग्राम खेतड़ी पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 222 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रेम चन्द के स्थान पर प्रेम लाल कुम्हार तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजू के स्थान पर राजेश कुमार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त [illegible] हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 15:07:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible]कारी, खेतड़ी

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 222 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रेम चन्द के स्थान पर प्रेम लाल कुम्हार तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजू के स्थान पर राजेश कुमार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 15:07:29 IST
Reason: SelfAttested